संख्या 16/60/2024-प्रशासन/ई.211876 **दिनांक: 25.02.2026**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का पुनर्गठन।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12.09.2025 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में, सक्षम प्राधिकारी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच हेतु परिषद मुख्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है।

समिति की संशोधित संरचना इस प्रकार है:

1. डॉ. तरुणा मदान गुप्ता, वैज्ञानिक-जी एवं प्रमुख, विकास अनुसंधान — **अध्यक्ष**
2. डॉ. आशू ग्रोवर, वैज्ञानिक-जी एवं प्रमुख, डिलीवरी अनुसंधान — **सदस्य**
3. डॉ. जॉय कुमार चकमा, वैज्ञानिक-एफ एवं प्रमुख, सीपीसी — **सदस्य**
4. सुश्री धिया ऐन मैथ्यू, राष्ट्रीय महासचिव, वाईडब्ल्यूसीए ऑफ इंडिया — **बाहरी सदस्य**
5. सुश्री सीमा वर्मा, एसटीओ — **सदस्य सचिव**

यह आंतरिक शिकायत समिति (ICC) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित सभी शिकायतों की जांच करेगी और महिला कर्मचारियों के लिए कार्य-स्थल पर सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपायों की सिफारिश करेगी।

आंतरिक शिकायत समिति के लिए संदर्भित शर्तें निम्नलिखित हैं:-

I. समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।
II. समिति ऐसा सुविधाजनक संचार माध्यम बनाएगी, ताकि महिलाएँ बिना किसी अनुचित दबाव के शिकायत दर्ज कर सकें।
III. समिति अपनी कार्यवाही को गोपनीय रखेगी।
IV. समिति महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम में सहायता हेतु जागरूकता पैदा करने और परामर्श प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाएगी।
V. यदि मामला छात्रों से संबंधित हो तो समिति छात्र समुदाय की किसी महिला सदस्य को आमंत्रित कर सकती है, अथवा यदि मामला कर्मचारियों से संबंधित हो तो समिति किसी महिला कर्मचारी सदस्य को आमंत्रित कर सकती है।
VI. समिति शिकायतों और उनके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और प्रस्तुत करेगी।
VII. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु ऐसी अन्य गतिविधियाँ का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(जयबीर सिंह)
सहा. महानिदेशक (प्रशा.)

वितरण

उपर्युक्त सभी सदस्य

प्रतिलिपि :

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार, के निजी सचिव
2. सभी प्रभाग प्रमुख
3. उप महानिदेशक (प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (वित्त),
4. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशासन अधिकारी/लेखा अधिकारी / अनुभाग अधिकारी
5. डॉ. एम.एस. चालगा, वैज्ञानिक-डी — अनुरोध है कि इसे आईसीएमआर वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।